बारिश का मौसम आ गया, फिर भी खतरा ले रहे मोल

भोपाल. कोलार डैम के गेट खुलते ही आसपास के गांवों से निकलकर पानी जाता है। यह बात जानते हुए भी लोग डैम के पास ही ब्रिज के नीचे पिकनिक मनाने में मशगूल हैं। कोई दाल बाटी बना रहा है तो कोई परिवार के साथ नहा रहा है। कहीं ये जोखिम जान पर भारी न पड़ जाए।
फोटो: अजय शर्मा

एनसीआइएसएम की सख्ती से कॉलेजों की चिंता बढ़ी

आयुर्वेद कॉलेजों में फर्जी अटेंडेंस पर अब 25 लाख लगेगा जुर्माना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआइएसएम) ने सख्त पनिटिव पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी-आइएसएम) की 150वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। नई नीति के अनुसार, जिन कॉलेजों में आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं होगा या सिस्टम सही तरीके से कार्यरत नहीं मिलेगा, उन्हें संबंधित सत्र की मान्यता से वंचित किया जा सकता है। वहीं निरीक्षण (विजिटेशन) से इनकार करने वाले कॉलेजों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। राजधानी के निजी आयुर्वेद कॉलेजों में इस निर्णय को लेकर सबसे ज्यादा चिंता टीचिंग फैकल्टी की कमी को लेकर देखी जा रही है। यदि किसी विभाग में एक भी नियमित शिक्षक नहीं मिला तो कॉलेज की अनुमति रद्द की जा सकती है। साथ ही प्रत्येक कमी वाले शिक्षक पर सीट क्षमता में 5 प्रतिशत तक कटौती का प्रावधान रखा गया है। एनसीआइएसएम ने केवल कागजों पर मौजूद शिक्षकों पर भी बड़ा प्रहार किया है। ऐसे प्रत्येक शिक्षक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उनका टीचर कोड निलंबित या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।

फैसला काफी अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद, यूनानी कॉलेजों में योग्य टीचिंग फैकल्टी की भारी कमी है। ऐसे में एनसीआइएसएम को मापदंडों में 10 से 20 प्रतिशत तक राहत देने पर विचार करना चाहिए।
डॉ. राकेश पाण्डेय, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आयुष मेडिकल एसोसिएशन

बंदूक के लायसेंस नवीनीकरण में पटवारी की रिपोर्ट होगी अहम

अगर आपका जमीन विवाद तो गन लाइसेंस से धोना पड़ सकता है हाथ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. शस्त्र लायसेंस को लेकर नियम के एक बदलाव ने कई रसूखदारों की बंदूक सरेंडर करने की स्थिति बना दी है। पांच साल में लायसेंस का नवीनीकरण करना है और इसके लिए पटवारी वेरिफिकेशन कर देंगे कि संबंधित पर किसी की जमीन पर कब्जे के प्रयास या कब्जे का प्रकरण नहीं है।

रसूख का लाभ लेकर किसी ने जमीन कब्जाने की कोशिश की पटवारी की रिपोर्ट में डिटेल आई तो फिर बंदूक से हाथ धोना पड़ सकता है। जिले में शस्त्र लायसेंस का काम देख रहे संयुक्त इकबाल मोहम्मद का कहना है, सभी स्तरों पर वेरिफिकेशन जरूरी है। इसे करवा रहे हैं। इकबाल का ट्रांसफर होने के बाद अब नए को प्रभार देंगे, इसके बाद रिपोर्ट पर काम शुरू होगा।

7716 लायसेंस, 2127 को इसी साल कराना है नवीनीकरण: जिले में कुल 7716 शस्त्र लायसेंस है। इनमें से करीब 30 फीसदी यानी 2127 को इसी साल नवीनीकरण कराना है। इन्हें जमीन से जुड़े मामले का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि प्रशासन स्पोर्ट्स कोटे से बने लायसेंस पर वेरिफिकेशन कर चुका है और इसें 40 लायसेंस रद्द किए थे। ये ऐसे लोग थे, जो लंबे समय से खेल गतिविधियों से दूर थे, लेकिन लायसेंस लिया हुआ था। बिजली कंपनी ने भी प्रशासन को 35 बकायादारों की सूची भेजी हुई है और बकाया जमा नही करने पर लायसेंस रद्द करने का अनुरोध किया है। इसे भी साल के आखिर में अपडेट किया जाएगा। यानी बकाया जमा नहीं किया तो फिर बंदूक जाएगी।

आठ नजूल में 2200 प्रकरण जमीन पर कब्जे के

प्रशासन के आंकड़े देखें तो इस समय आठ नजूल क्षेत्र की 25 तहसीलदार कोर्ट में 2200 मामले जमीन से कब्जे से जुड़े हैं। इनमें पटवारी की रिपोर्ट लगती है। इनमें से जो शस्त्र लायसेंसधारी होंगे, उनसे पूछताछ होगी, उचित जवाब नहीं मिला तो फिर लायसेंस पर आंच आ सकती है।

शहर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित, सभी को प्रतिनिधित्व

दस महीने बाद कांग्रेस पदाधिकारियों की घोषणा, 50 को मिली जगह

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. शहर में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना की नियुक्ति के करीब 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद इस नई टीम का गठन किया गया है। आगामी चुनावों और सांगठनिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस सूची में समन्वय और संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

50 से ज्यादा चेहरों को जिम्मेदारी: घोषित की गई नई टीम में 50 से अधिक पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। वरिष्ठता और सक्रियता को देखते हुए अभिषेक शर्मा को जिला संगठन महासचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, महेन्द्र जाधव को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

उपाध्यक्ष और महासचिवों की सूची

कार्यकारिणी में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधते हुए 10 उपाध्यक्ष और 15 महासचिव नियुक्त किए गए हैं।

10 उपाध्यक्ष: मनीष यादव, वात्सायन जैन (सोनू भाभा), नवीन चौबे, दुली चंद पटेल, अनस उर रहमान, नईम खान, मोहम्मद नफीस, रमीज राजा, महमूद खान और राकेश सुशील शर्मा।

15 महासचिव: राम राज तिवारी, भानु प्रकाश सिसोदिया, बाबर खान, फिरोज खान, मेवालाल, अमजद अंजुम, कमाल पाशा, अनिल जाधव, दान सिंह दानी ठाकुर, राकेश कुरेले, राहुल टांक (दाहिया), सादिया खान, दानिश शब्बीर, योगेश सराठे और गोपिल कोटवाल।

जमीनी स्तर पर पकड़ के लिए 20 सचिव तैनात: संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक सक्रिय करने के लिए 20 सचिवों की भी नियुक्ति की गई है। इनमें चेतन साहू, तुफैल अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद फैसल कुरैशी, मोहम्मद रिजवान, भंवर लाल प्रजापति, अब्दुल जावेद, इफ्तिखार बेग, नुसरत खान, गिरीश साहू, रेखा रघुवंशी, लीलाधर पंवार, दिनेश मारन, रजनी दुबे, रोशन यादव, उमेश बाथम, विष्णु मारन, मो. साजिद खान, नादिर शरीफ, रतनपाल पिंकी सागोडे और पूनम राय शामिल हैं।

मीडिया विभाग को मजबूती देने के लिए प्रशांत कुमार गुरुदेव और आनंद सबधानी को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि डिजिटल मोर्चे पर राहुल बबेले और मानवेंद्र शर्मा को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है।

एनडीपीएस कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर दी रिहाई

दो माह में चालान पेश नहीं, जमानत पर छूटे गांजा तस्करी के दोनों आरोपी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. छोला मंदिर थाना क्षेत्र में 2.014 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दो आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत दे दी है। न्यायालय ने माना कि निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं किया गया, जिसके चलते आरोपी जमानत पाने के हकदार हो गए। मामला अपराध क्रमांक 317/2026 से जुड़ा है। पुलिस ने 16 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर लाल रोड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बाइक सवार तुषार माली (23) और राजेन्द्र पटेल (17) को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके पास से एक प्लास्टिक के थैले में 2.014 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।

17 अप्रैल को हुए थे गिरफ्तार

दोनों आरोपियों को 17 अप्रैल को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। आरोपियों की ओर से दायर आवेदन में कहा गया कि जब्त गांजे की मात्रा वाणिज्यिक (कमर्शियल) श्रेणी में नहीं आती है और मामले में 60 दिन के भीतर चालान पेश किया जाना आवश्यक था। हालांकि गिरफ्तारी 64 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया। विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक ने केस डायरी और रिमांड पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि निर्धारित समय सीमा में चालान पेश नहीं किया गया है। न्यायालय ने माना कि बीएनएसएस की धारा 187(3) के तहत ऐसी स्थिति में आरोपी बाय डिफॉल्ट जमानत पाने के पात्र हैं। ऐसे में अदालत ने तुषार माली और राजेन्द्र पटेल को 50-50 हजार रुपए की सक्षम जमानत एवं उतनी ही राशि के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है साइबर सेफ 2.0 अभियान

बच्चों को साइबर ठगी से बचने के गुर सिखाने स्कूलों में पहुंची पुलिस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल@पत्रिका. बढ़ते साइबर अपराधों के बीच लोगों को सतर्क करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस का प्रदेशव्यापी 'साइबर सेफ 2.0' अभियान शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के अनेक थाना इलाकों में स्कूलों में जाकर बच्चों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया गया। चूनाभट्टी पुलिस ने क्षेत्र के शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 500 से ज्यादा छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को ऑनलाइन ठगी के नए-नए तरीकों से आगाह किया। वहीं, थाना हनुमानगंज के खालसा हायर सेकंडरी स्कूल में 120 छात्र-छात्राओं और रेड रोज स्कूल, सिंधी कॉलोनी में छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आनंद विद्या मंदिर विद्यालय में 250 बच्चों को जागरूक किया गया। इधर, थाना शाहजहांनाबाद पुलिस द्वारा सुल्तानिया एसबीआइ में प्रशिक्षु अधिकारियों को साइबर फ्रॉड से बचाव की जानकारी दी गई।

आरजीपीवी कैंपस में फुलकी का ठेला लगाने पर विवाद, छात्राओं ने लिखा कुलगुरु को पत्र

भोपाल @ पत्रिका. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में फुलकी के ठेले को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। कर्मचारियों और कुछ छात्रों के विरोध के बीच अब विश्वविद्यालय की छात्राएं खुलकर ठेले के समर्थन में उतर आई हैं। छात्राओं ने कुलगुरु को पत्र लिखकर कैंपस के अंदर चैट-फुलकी स्टॉल जारी रखने की मांग की है। छात्राओं ने अपने पत्र में लिखा कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास लगाया गया फुलकी ठेला सिर्फ खानपान का साधन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए रिफ्रेशमेंट पॉइंट बन गया है। उनका कहना है कि खासकर छात्राओं के लिए कैंपस के अंदर स्नैक्स की सुविधा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक है। पत्र में छात्राओं ने बाहरी परिस्थितियों का भी जिक्र किया।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
द्वितीय तल, विकास भवन, पुरानी जेल के सामने
अरेरा हिल्स, भोपाल - 462027
क्र. 10,903/पंचा.राज/स्था./2026 भोपाल, दिनांक : 25.06.2026

विज्ञप्ति

पंचायत राज संचालनालय, भोपाल में 01 परामर्शी के नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रथम श्रेणी अधिकारी स्तर से सेवानिवृत्त हुये हो या मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्य करने का 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हो तथा विभागीय नियम/निर्देश/अधिनियम का ज्ञान होना चाहिये। आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत निर्देश विभाग की वेबसाइट **https://mppanchayatdarpan.gov.in/** पर देखे व प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन करने की **अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026** है। आवेदन पंचायत राज संचालनालय, द्वितीय तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है।

आयुक्त सह संचालक
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र. माध्यम/126583/2026

Govt of India, Ministry of Defence Defence Estates Office
Jabalpur Circle, Jabalpur Cantt (M.P.) - 482 001
Tele : 0761-2627075 | E-mail : deojaba-stats@nic.in
No. JDT-1/Vol-77/ 63 Dated – 25 June, 2026

द्वितीय ई-नीलामी सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 23/07/2026 को 15:00 बजे से 18:00 बजे तक 28 ईडी एयरफोर्स आमला, जिला बैतूल में स्थित विभिन्न प्रजातियों के कुल 2720 हरे-खड़े वृक्षों की ई-नीलामी रक्षा सम्पदा कार्यालय, जबलपुर मण्डल, जबलपुर छावनी द्वारा किया जाना है। इन वृक्षों को 09/07/2026 को सुबह 11:00 से दोपहर 14:00 बजे तक इच्छुक ठेकेदारों को दिखाया जाएगा। ई-नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी एवं वृक्षों का विवरण वेबसाइट www.eauction.gov.in पर देखा जा सकता है तथा इस कार्यालय में भी अवकाश के दिन छोड़कर सुबह 10:00 बजे से 17:00 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है।

नेहा गुप्ता, रक्षा सम्पदा अधिकारी, जबलपुर मण्डल, जबलपुर छावनी

रोपेंगे नीम और तुलसी

कांग्रेस सेवादल मानसून के दौरान चलाएगा पौधरोपण अभियान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल की गुरुवार को पीसीसी भोपाल में प्रदेशस्तरीय बैठक हुई। बैठक में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक इकाइयों के गठन की समीक्षा की गई तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रभात फेरी एवं ध्वज वंदन कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ जिला, विधानसभा एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, सदस्यता अभियान की प्रगति तथा संगठनात्मक विस्तार पर भी चर्चा हुई। वर्षा ऋतु में सेवादल द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान चलाने तथा विशेष रूप से नीम एवं तुलसी के पौधों का रोपण करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन एवं उसकी तैयारियों की समीक्षा भी की गई।

28 जून को को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा

भोपाल @ पत्रिका. राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को भोपाल जिले में पांच वर्ष तक के तीन लाख 32 हजार से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर में 2710 पोलियो बूथ बनाए हैं। यह जानकारी जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी ने स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने निर्देश दिए कि पहले दिन अधिक से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य पूरा किया जाए।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
अरेरा हिल्स, भोपाल,फोन नं. 0755-2550020

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा/सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एव जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:–

ई नीलामी दिनांक : 17.07.2026 (ई–नीलामी का समय : प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 16.07.2026 रात्रि 11.00 बजे तक

ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	मांग नोटिस दि. / कब्जा दिनांक / बकाया राशि
निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे। आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा | प्राधिकृत अधिकारी : श्री योगेश कृष्ण सक्सेना | फोन नं. 0755-2550020/9425013866		
मेसर्स द कान्हा कैसल द्वारा पार्टनर श्री प्रदीप सूरी, श्रीमती नीलू सूरी, श्री मुकेश सूरी ,मोनिका सूरी एवं श्रीमती प्रकाश सूरी (जमानतदार) होटल बिल्डिंग लीज़ होल्ड प्लाट नं. 223ए/1 व 223ए/2, जोन–1, एम.पी.नगर, मल्टी लेवल पार्किंग के पास, आमेर पैलेस होटल के पीछे, वार्ड नं. 43, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र) पर निर्मित, क्षेत्रफल 2247.45 वर्ग फिट, सीमाऐं : पूर्व–प्लाट नं. 222, पश्चिम– 223–ए /2 का शेष भाग , उत्तर–30 फिट चौड़ी रोड, दक्षिण–60 फिट चौड़ी रोड (भौतिक आधिपत्य)	(₹) 5,64,00,000/- (₹) 56,40,000/-	26-04-2022 23-04-2025 ₹ 77261673.88 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
1) श्री अरविंद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री हरिमोहन अग्रवाल 2) श्रीमती इंदु अग्रवाल पत्नि श्री अरविंद अग्रवाल (भौतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति मकान नं. 212, 213 विला नं. 08, अल्पाइन ज्वेल प्रोजेक्ट का भाग, खसरा नं40,41,42,44,46,48,52,53,58,62,63,64,65,66,67,68/1/1 68/1/4, 68/1/5, 68/1/6 ,मीन1, 68/2 , 68/3 का भाग, अल्पाईन ज्वेल दामखेड़ा विरान कोलार, पटवारी हल्का नं. 39, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) क्षेत्रफल : 255.56 वर्ग मीटर, सीमाऐं : पूर्व – रोड, पश्चिम–प्लाट नं. 200 एवं 201 (विला नं. 15), उत्तर–प्लाट नं. 214 एवं 215 (विला नं. 07), दक्षिण– प्लाट नं. 210 एवं 211 (विला नं. 09), संपत्ति मालिक : श्री अरविंद अग्रवाल एवं श्रीमती इंदु अग्रवाल	(₹) 76,95,000/- (₹) 7,69,500/-	20-03-2025 03-06-2025 ₹ 8869585.50 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे

नियम एवं शर्तें :– 1. विक्रय सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के आधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा। 2. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहां है जैसा है एवं जिस अवस्था में है'' के आधार पर होगी। 3. ऊपर वर्णित सम्पत्तियों का विवरण प्रतिभूत लेनदार को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु प्रतिभूत लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक लिये जिम्मेदार नहीं होगा। 4. विक्रय अधिकृत ऑनलाईन ई–निलामी सेवा प्रदाता के द्वारा दिनांक 17/07/2026 वेबसाइट https://baanknet.com पर किया जायेगा। इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता PSB Alliance के संबंधित ई–नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए https://baanknet.com और www.pnb.bank.in पर देखें।

दिनांक: 25/06/2026, स्थान: भोपाल — सुरक्षित ऋणदाता, पंजाब नैशनल बैंक

कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय आमखो, लश्कर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 474 009
Website www.gacgwalior.edu.in
E-Mail: gacgwalior@gmail.com
principalgacgwa@mp.gov.in
Office 0751-2372802
Hospital 0751-2438603

क्रमांक / विविध / 2026 /4093-97 ग्वालियर दिनांक 25.06.2026

// ई-निविदा विज्ञप्ति //

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय आमखो, ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार ई-निविदा विज्ञप्ति आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता www.mptenders.gov.in पर भुगतान कर निविदा प्राप्त कर सकते हैं। निविदा का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	ई-निविदा का प्रकार	ई-निविदा शुल्क	ऑनलाईन ई-निविदा विक्रय हेतु प्रारम्भ दिनांक एवं समय	ऑनलाईन ई-निविदा विक्रय हेतु अन्तिम दिनांक एवं समय	ऑनलाईन ई-निविदा जमा करने हेतु अन्तिम दिनांक एवं समय	ऑनलाईन तकनीकी ई-निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय
1.	महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं डी.टी.एल. ग्वालियर हेतु आउट सोर्स के माध्यम से कुशल एवं अकुशल श्रमिक हेतु ई-निविदा	5000.00	02.07.2026 दोपहर 12.00 बजे से	23.07.2026 दोपहर 03.00 बजे तक	23.07.2026 सायंकाल 05.00 बजे तक	24.07.2026 दोपहर 02.00 बजे
2.	महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं डी.टी.एल. ग्वालियर हेतु आउट सोर्स के माध्यम से सुरक्षा गार्ड हेतु ई-निविदा	5000.00	02.07.2026 दोपहर 12.00 बजे से	23.07.2026 दोपहर 03.00 बजे तक	23.07.2026 सायंकाल 05.00 बजे तक	27.07.2026 दोपहर 02.00 बजे
3.	डी.टी.एल. ग्वालियर में होम्योपैथी औषधियों की जांच हेतु आवश्यक उपकरण व फर्नीचर क्रय हेतु ई-निविदा	1000.00	02.07.2026 दोपहर 12.00 बजे से	23.07.2026 दोपहर 03.00 बजे तक	23.07.2026 सायंकाल 05.00 बजे तक	28.07.2026 दोपहर 02.00 बजे

विस्तृत विवरण एवं नियम शर्ते www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। ई-निविदा प्रकाशन उपरांत निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उल्लेखित ई-टेण्डर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा।
अधिक जानकारी के लिए निविदादाता ई-मेल आई.डी. support-eproc@nic.in या Toll free No.- 0120-4001002, 0120-4001005 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

(डॉ. महेश कुमार शर्मा)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय, ग्वालियर (म.प्र.)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ.9001:2015,14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
GSTIN-23AAAAU0051C1ZB पंजीयन कृमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिंनाक 9 /12/1977 PAN No. AAAAU0051C

साँची पैक्ड दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु पंचम आवेदन आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल की एक ईकाई हैं जो साँची ब्राण्ड नाम से पैकेट दूध, दुग्ध उत्पादों, घी का उत्पादन एवं विक्रय करता हैं। दुग्ध संघ अपने कार्यक्षेत्र में साँची पैकेट दूध, दुग्ध उत्पाद एवं साँची के अन्य उत्पाद के विक्रय हेतु उज्जैन शहर के मार्ग क्रमांक 12 पर वितरक नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता हैं।

वितरक कार्य हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी व्यक्ति/संस्था/फर्म जिनके पास मजबूत रिटेल नेटवर्क उपलब्ध हो अथवा बनाने की क्षमता रखते हों आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म आवेदन प्रपत्र वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड या उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय से रू. 500/–के भुगतान पर क्रय कर पूर्णतः भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत उज्जैन दुग्ध संघ की ई–मेल आई.डी. sales.uds@sanchidairy.com पर अपलोड कर अथवा दुग्ध संघ कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं। वेबसाइट से आवेदन फार्म प्राप्त किए जाने पर रू. 500/–का ऑनलाईन भुगतान कर रसीद अपलोड की जावे। वितरक चयन प्रक्रिया का शैड्यूल निम्नानुसार हैं :–

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 26.06.2026 से रू.500/–के मूल्य पर क्रय कर सकते हैं
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.07.2026 तक समय दोपहर 12:00 बजे तक दुग्ध संघ की ई–मेल आई.डी sales.uds@sanchidairy.com पर अथवा भौतिक रूप से उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करें।
3.	आवेदन प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 02.07.2026 समय अपरान्ह 02:00 बजे उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन कार्यालय
4.	गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परिक्षण एवं मूल्यांकन	दिनांक 03.07.2026 से दिनांक 07.07.2026 तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन कार्यालय
5.	चयनित वितरक/वितरकों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 10.07.2026 को विभिन्न समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन

प्रत्येक आवेदन प्रपत्र के साथ राशि रू. 10,000/– की ऑनलाईन ई.एम.डी. जमा कर रसीद अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य हैं जिसके बिना आवेदन स्वतः अमान्य होंगे। अधिक जानकारी दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से या मोबाईल नं.–6357362657, 9406547678 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं। यदि आवेदन प्रपत्र/प्रक्रिया में कोई सुधार/संशोधन किया जाता हैं तो यह केवल वेबसाइट www.sanchidairy.com पर ही प्रकाशित होगा, किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नही किया जाएगा। किसी भी अथवा समस्त आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी